रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 218] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 7, 1974/भाद्र 16, 1896
No. 218] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 7, 1974/BHADRA 16, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 7th September 1974

SUBJECT.—*Terms and conditions governing the issuance of Import Licences under UK/India Capital Investment Loan*, 1974.

No. 133-ITC(PN)/74.—The terms and conditions governing the issuance of import licences under the UK/India Capital Investment Loan, 1974, dated 27th March, 1974 as given in the Appendix to this Public Notice are notified for information.

APPENDIX

LICENSING CONDITIONS FOR THE UK/INDIA CAPITAL INVESTMENT LOAN, 1974, DATED 27-3-1974

I. *General Conditions*:

The import licence will bear the superscription "UK/India Capital Investment Loan, 1974". In addition to the licence number and the licence code with 'R/KK' as suffixes, it should bear the allocation number in the manner detailed in paragraph 3, and these allocations will relate to one of the segments below:

'A' Segment—(£5.00 *million private sector segment*)

Where the licence is issued in favour of a private Sector unit on the basis of clearance accorded by the Capital Goods Committee.

'B' Segment—(£5.00 *million public sector segment*)

Where the licence is issued on the basis of sanction issued by the Administrative Ministry after obtaining clearance of foreign exchange accorded by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (WE II Section), New Delhi in favour of public sector units or departmental undertakings of Central or State Government.

'C' Segment—For NSIC—Nil

'D' Segment—(£1 0 *million I.F.C.I. Segment*)

Where the licence is issued to development projects financed by the I.F.C.I. on the basis of clearance of foreign exchange accorded by I.F.C.I.

'E' Segment—(£1.0 *million I.C.I.C.I. Segment*)

Where the licence is issued to development of projects financed by the I.F.C.I. on the basis of clearance of foreign exchange accorded by I.F.C.I.

2. Within a fortnight of the receipt of the import licence, the importer should furnish to the Department of Economic Affairs (WE II Section) a photostat copy of the import licence. A copy of this should also be sent to the Controller of Aid Accounts & Audit Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi.

3. **Identification Suffix.**—(a) Each allocation under the "UK/India Capital Investment Loan, 1974" will bear an identification suffix—the symbol 'CIL' indicating the loan, followed by a letter showing the Segment of the loan ('A' for the private sector Segment, 'B' for the public sector Segment, 'D' for the I.F.C.I. Segment and 'E' for the I.C.I.C.I. Segment); followed by a number indicating the year in which the allocation is made; and followed by an allocation number, for example,

CIL/A/73/14(GOI).

i.e. Loan/Segment/Year/Serial number of allocation.

(b) In cases of allocations made with the prior approval of the UK Government or in the case of I.F.C.I. and I.C.I.C.I., the symbol (GOI) will not appear in the identification suffix.

(c) *One Allocation—Multiple licences.*—As there may be more than one licences against any given allocation, the licensing authorities will ensure, at the time of issue of the import licence, that each licence pertaining to an allocation will bear a further identification mark, for example,

(i) CIL/A/73/14(GOI)/I

i.e. Loan/Segment/Year/Serial number of allocations/Serial number of licence.

(ii) CIL/A/73/14(GOI)/2 etc.

(d) *One Licence—Multiple contracts*—As there may be more than one purchase orders/contracts against an import licence, it is the responsibility of the licensee to ensure that each order under an import licence is given a further identification mark (1), (2), etc. for example,

(i) Against the first licence: CIL/A/73/14(GOI)/1(1)

i.e. Loan/Segment/Year/Serial number of allocation/Serial number of import licence against the allocation/(Serial number of order against the import licence).

CIL/A/73/14(GOI)/1(2) etc. etc.

(ii) Against the Second licence: Similarly for orders against the second licence against this allocation:

CIL/A/73/14(GOI)/2(1).

CIL/A/73/14(GOI)/2(2) etc. etc.

NOTE.—The identification suffixes indicated in this Section are only illustrative to enable the Licensing Authority and the licensee to understand the procedure. The actual identification suffix will be indicated by the Department of Economic Affairs in respect of specific individual allocation to be inscribed by the Licensing Authority on the import licence at the time of its issue.

4. **Mode of payment.**—Payments to the suppliers can be arranged through normal banking channel by establishing letters of credit, *but a special authorisation for doing so should be obtained from the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi,* in the manner detailed in Section IV below. Any payment towards Indian Agent's Commission should be made in Indian Rupees to the Agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

5. **Validity period.**—The licence will be issued with an initial validity period of 12 months. Firm orders on CIF or C&F basis must be placed within four months from the date of issue of the import licence. If orders cannot be placed within first four months for valid reasons, the licence should be submitted to the licensing authority within the four months' period or immediately thereafter, giving the reasons for the delay in placing orders and indicating the date by which orders would be placed and extension in the period of ordering as necessary. Such requests will be considered on merits by the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi in consultation with the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), New Delhi, wherever necessary.

NOTE.—As it is contracts entered into on or after 31st July, 1973 and before 30th September, 1976 only are eligible for being financed under this loan.

6. **Placement of Orders.**—It should be noted that unless ordering is complete within four months or the extended period allowed by the licensing authority, and the special authorisation (as indicated in paragraph 4 above) is obtained, the authorised dealers in foreign exchange will not permit establishment of letters of credit.

7. **Basis of Orders—Cash.**—Orders should be placed on cash basis and all payments must be completed within a month of the expiry of the licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. No credit facilities of any kind will be permitted.

I. Special points to be Incorporated in the Orders/Contracts or otherwise kept in view:

1. While placing orders/contracts which must be placed only on the suppliers in the UK (which expression includes the Channel Islands and the Isle of Man), the licensee must ensure by a provision in the same that the goods purchased are or will be wholly or mainly produced or manufactured in the U.K. When the contract also provides for works and services in connection with the purchase of such goods, it must similarly be ensured by a suitable provision therein, that such works and services are or will be provided by persons ordinarily resident or carrying on business in the U.K.

2. **Responsibility of the importer to ensure U.K. content.**—(i) Import licences under the UK/India Capital Investment Loan, 1974 will normally be valid only for goods and/or materials procured and produced or manufactured in the United Kingdom. In exceptional cases a non-U.K. element upto a limit of 20 per cent of the FOB value of the contract may be accepted for financing under the UK/India Capital Investment Loan, 1974.

(ii) The Indian importer will be well advised in his own interest to ascertain from the UK suppliers beforehand whether the proposed imports contain any non-UK element, and if so, the percentage thereof. Under no circumstances should he enter into a firm commitment or contract with a UK supplier without specifically ascertaining this point.

(iii) When on such an enquiry it is revealed that the goods proposed to be imported have non-UK element, the matter must be brought to the notice of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, WE II Section, North Block, New Delhi for confirmation whether the importer should proceed with the finalisation of his order/contract with the prospective UK supplier.

3. The documentation requirements mentioned in Sections III and V below and the payment procedure laid down in Section IV below should be kept in view and should be appropriately incorporated in the contract.

II. Notification of Contracts and Amendments thereto:

1. Within a fortnight of placing of orders, the licensee should forward three copies of the contract or notification of contract (in the form attached as Annexure I) accompanied by two copies of the 'Contract Certificate' (in the form attached as Annexure II or Annexure II(B) as is appropriate) duly signed by the supplier, to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi.

2. While forwarding the above documents to the Ministry of Finance, it must be ensured by the licensee that the number and date of the import licence and the name of the credit are clearly noted in the documents. The licensee must give the identification suffix in each of the contracts against an import licence. For example if the identification suffix of the import licence is CIL/A/73/14(GOI)/1, the identification number for the first contract under this licence should be CIL/A/73/14(GOI)/1(1), for the second contract against this licence it should be CIL/A/73/14(GOI)/1(2) etc. and the licensee, while forwarding the contracts to the Ministry of Finance, must give the relevant details of the number of contracts placed under the relevant import licence to date. The importer will be solely responsible for the accuracy of these details.

3. If at any time a contract is amended or if liability is to be incurred thereunder to a greater amount than the amount specified in the contract certificate, the licensee should within a fortnight of the date of the amendment of the contract, forward the relevant supplementary or revised documents, copies of amendments to contracts and the revised 'contract certificate' to the Ministry of Finance in order to enable them to notify the same to the U.K. Government.

4. If, in any case, the contract is with the Indian agent of the UK supplier, it should indicate the name of the UK supplier to whom payment is to be made for the sterling portion of the contract which alone will qualify for payment under the loan. Copies of such contracts (or of contracts placed by Indian agents with UK suppliers, if there are such separate contracts) should be sent as prescribed above.

IV. *Payment to U.K. suppliers—Letter of Credit Procedure*:

1. The licensee should apply to the Controller of Aid Accounts and Audit (Economic Aid Accounts Branch), Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi for a *letter of authorisation* to any of the Exchange Bank in India for opening a letter of credit in favour of the UK suppliers with one of the correspondent banks in the United Kingdom.

2. (i) The request for the letter of authorisation should be in the form given in Annexure III and should be accompanied by a copy of the firm order and a contract certificate completed by the United Kingdom supplier, the letter to be in the form set out at Annexure II or Annexure II(B) (as is appropriate), (and the import licence or a photostat copy thereof for verification of exchange rate).

(ii) If a letter of authorisation already issued is to be amended on account of enhancement in import licence value, the request of the importer should be accompanied by the import licence or photostat copy thereof, showing the exchange rate applicable for the amount of increase in import licence value.

3. If the application is found to be in order, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs will issue a letter of authorisation for the requisite amount to the importer and the Indian Exchange Bank concerned. The letters of authorisation of the Ministry of Finance will also refer to the identification suffix of the purchase order e.g. CIL/A/73/14(GOI)/1(1) etc. The identification suffix should also figure in the letter of credit to be opened and in all the documents to be furnished under the letter of credit. The Ministry of Finance will also advise the UK Bank concerned. The advice to the UK Bank will, however, be sent to the Indian Exchange Bank concerned alongwith their copy of the authorisation letter who should transmit it to the UK Bank while opening the letter of Credit.

4. The letter of credit should be opened within a month from the date of issue of the authorisation (under intimation to the Ministry of Finance) failing which the authorisation will lapse. The letter of credit should detail the conditions to which the licence is subject, should provide for payments to the suppliers on the submission of all the documents detailed in Section V below, should contain adequate instructions regarding the despatch of documents after payment and should be opened subject to the condition that the correspondent banks in UK would, after making payments to the beneficiaries initially out of their own funds, obtain reimbursement thereafter from the bank in India on which the letter of credit was opened. The Indian Exchange Bank's instructions regarding the opening of letter of credit must accord completely with the authorisation issued by the Ministry of Finance. There should be no discrepancies in any respect.

5. The letter of credit should be clearly marked with the loan title, allocation number and other particulars viz. serial number of the import licence under the given allocation

and the serial number of the contract pertaining to the import licence etc. etc. as indicated in the letter of authorisation.

V. *Documentation*:

1. The importer is responsible to see that the UK supplier completes and submits the documents detailed below to the U K Bank at the time of claiming payment for the goods supplied:—

(i) The original invoice with four photo copies or copies by any other process. (The invoice should show the name and address of the importer, quantity, and detailed description of each item supplied, sales price for each item reflecting all trade discounts, the basis of delivery (C&F or CIF) and the sterling cost of any incidental services including delivery services or marine or transportation insurance.

(ii) One copy (or photostat) of Ocean or charter-party bill of lading or airway bill or parcel post receipt. (The Bill of Lading shall indicate the carrier's statement of charges in whatever currency it is paid).

(iii) Four copies of the payment certificate in the form given in Annexure IV [not required in respect of contracts for which contract certificate (Chemicals) in the form given in Annexure II(B) has been provided]. For this purpose, five blank forms of the payment certificate in the prescribed form should be attached to the letter of credit for completion by the supplier at the time of obtaining payment.

(iv) Three copies of the contract certificate prescribed in Annexure II or Annexure II(B).

Each document must show the loan title, identification suffix, details of import licence, and the particulars of the letter of credit authorisation issued by the Ministry of Finance.

2. While opening Letter of Credit, the authorised Exchange Bank in India will, on behalf of the importer, take care to incorporate necessary conditions in the Letter of Credit to ensure that the above requirements of documentation are noted and complied with by the UK suppliers.

3. After the payment is made to the supplier, the correspondent bank in the UK will send by air mail the original negotiable set of documents to the Indian Bank concerned. The Indian Bank will reimburse the UK Bank by remittance the payment made by it to the UK suppliers, along with the Bank charges. The recovery of corresponding rupee equivalent by the Indian Bank from the importer for such foreign exchange remittances will be as per arrangements agreed to between them. The UK Bank should also send a non-negotiable copy of the completed payment certificate to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi.

VI. *Indian Bank's responsibility to enable the Government of India to obtain reimbursement under the U.K. Loan*:

After reimbursing the UK Bank of the sterling payments made by it to the UK suppliers along with the bank charges, the Indian Bank should within the next 10 days send the necessary documents to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi to enable the Government of India to obtain the necessary reimbursement under the U.K. Loan. The documents to be furnished are—

(i) Contract certificate in the form of Annexure II or Annexure II(B) (as is appropriate) duly signed by the U.K. supplier, and a copy of the relevant letter of credit.

(ii) *Payment Certificate* in the form given in Annexure IV duly signed by the U.K. supplier.

(iii) The invoice and Bills of lading as mentioned in Section V. where there is more than one payment to be made to the UK supplier under a contract, the Contract Certificate and a copy of the letter of credit need to be supplied only for first payment and for the subsequent payments only the payment certificate and invoices need to be sent to the Ministry of Finance, but the identification suffix in the relevant contract certificate and the letter of credit should be quoted.

VII. *Reports on the utilisation of the Import Licence*:

A monthly report, in the form attached as Annexure V showing the utilisation status of the licence, should be furnished on or before the 7th of each month to (i) the Controller of Aid Accounts and Audit, (Economic Aid Accounts Branch) Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi, and (ii) SO-WEII, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, North Block Secretariat, New Delhi.

Where the release of foreign exchange has been made by the IFCI and ICICI, the report should be furnished to the respective organisations concerned.

VIII. *Miscellaneous*:

1. **Notifying suppliers of Special Conditions.**—The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

2. **Refund from UK Suppliers.**—If any refunds are received by the licensee from the supplier, the shipper or the insurer, a full report showing the amount received, together with other relevant particulars, should be sent to the Ministry of Finance at the address indicated in Section VI above, as and when such refunds are received. The report regarding refunds should be as in the proforma in Annexure VI.

3. **Disputes.**—It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the licensee and the suppliers or any liabilities as such between the licensee and the suppliers.

4. **Further instructions.**—The licensee should promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the credit agreement.

5. **Breach or Violation.**—Any breach or violation of conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Import and Export (Control) Act.

IX. *List of Annexure by Title*:

Annexure I	Notification of Contract.
Annexure II	Contract Certificate.
Annexure II(B)	Contract Certificate (Chemicals).
Annexure III	Form of Application for Letter of Credit Authorisation.
Annexure IV	Payment Certificate.
Annexure V	Monthly Report on Ordering and Utilisation of Import Licence.
Annexure VI	Report on refunds received.

ANNEXURE I

UK/INDIA CAPITAL INVESTMENT LOAN 1974

NOTIFICATION OF CONTRACT

To

The Crown Agents

Identification Suffix No.————————

Notification of Contract No. ————————

The following are details of the contract under which it is proposed that payments shall be made in accordance with the terms and conditions of the above Loan.

1. Name and address of United Kingdom Contractor.
2. Date of contract.
3. Name of Purchaser.
4. Short description of goods. and/or works or services.

5. Value of Contract.

6. Terms of payment.

Signature of the authorised Officer.
of the importing firm.

ANNEXURE II

UK/INDIA CAPITAL INVESTMENT LOAN 1974.

CONTRACT CERTIFICATE

Particulars of Contract

Import Licence No. Identification Suffix No. ———

1. Date of Contract..... 2. Contract No

3. Description of goods or services to be supplied to the purchaser.....

.....

(*If a number of items are to be supplied, a detailed list should be appended to the certificate*)

4. Total contract price payable by purchase r (State CIF, C&F or FOB) £

.....

IF GOODS ARE TO BE SUPPLIED THE FOLLOWING SECTIONS MUST BE COMPLETED

(If the contractor is exporting agent only, the information request should be obtained from manufacturer)

5. Description of goods to be supplied to Purchaser	Price £	UK/TARRIF/TRADE CODE NO.
.....		
.....		
.....		

6. Estimated % of the FOB value of the goods *not* originating in the United Kingdom, but purchased by the Contractor directly from abroad, *i.e.* % of imported raw material or components used in manufacture.

(a) % FOB value

(b) Description of items and brief specifications

7. If any raw material or components used originated from abroad, *e.g.* copper, asbestos, cotton, wood pulp , etc., but have been purchased in the United Kingdom by the contractor far this contract, specify :—

(a) % FOB value

(b) Description of items and brief specifications

IF SERVICES ARE TO BE SUPPLIED THE FOLLOWING SECTION SHOULD ALSO BE COMPLETED.

8. State the estimated value of any work to be done or services performed in the purchaser' country by

(a) Your firm (site engineers charges, etc).....

(b) Local contractor

9. Qualifying remarks as necessary in respect of paragraphs 6, 7 or 8 above.....

.....

10. I hereby declare that I am employed in the United Kingdom by the contractor named below and have the authority to sign this certificate.I hereby undertake that in performance of the contract no goo ls or services which are not of United Kingdom orgin will be supplied by the contractors other than those specified in paragraphs 6, 7, 8, and 9 above.

Signed.....
Position held
Name and address of Contractor
.....
Date.....

NOTE :—For the purpose of this declaration the United Kingdom includes the Channel Islands and the Isle of Man.

ANNEXURE II(B)

UNITED KINGDOM/INDIA CAPITAL INVESTMENT LOAN 1974

CONTRACT CERTIFICATE FOR CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS ONLY

1. Date of Contract..... Contract No.....Import Licence No..... Date..... Identification Suffix

2. *Description of Product(s) to be supplied to Purchaser.*	£ *Price*	*UK Tariff Classification No.*	*Is the product of UK origin? (See Note C state 'Yes' or 'No'*
(NOTE A)		(NOTE B)	
.....			
.....			

3. Total (Estimated) Contract Price payable by Purchaser in Sterling £.....
.....

4. (Declaration) I hereby declare that I am employed in the United Kingdom by the Contractor named below and have the authority to sign this certificate, and that the above information is correct.

Signature
Position held
Name and Address of Contract.....
.....
.....

Date..

NOTES

A. This form is only to be used for chemical and allied products, most of which are covered by the appropriate sub-headings of Chapter 15, 25, 28-35 and 37-40 of the UK Tariff.

B. SEE:—

(i) HM Customs and Excise Tariff HMSO.

(ii) Classification of Chemicals in Brussels Nomenclature HMSO.

C. (i) A product is regarded as of 'UK origin' if made either wholly from indigenous UK materials *OR* according to the appropriate 'EFTA' qualifying process using imported materials wholly or in part.

(ii) The EFTA qualifying processes are set out in Schedule I of the 'EFTA' Compendium for the 'Use of Exporters', HMSO.

(iii) For the purposes of this declaration it is to be emphasised that the "alternative percentage criterion " DOES NOT APPLY.

(iv) The words "Area Origin" where they appear in the above Schedule must be taken to mean "UK Origin" only.

(v) For the purposes of this declaration, the "Basic Materials List" (Schedule III of the EFTA Compendium) does not apply.

(vi) If a qualifying process is not listed for the material in question advice should be sought from the Crown Agents, CS4 Department, 4 Milk Millbank, London SW1.

D. For the purpose of this declaration the United Kingdom includes the Channel Islands and the Isle of Man.

ANNEXURE III

Form of Application for Letter of Credit Authorisation

To,

The Controller of Aid Accounts & Audit,
(Economic Aid Accounts Branch)
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
Jeevan Deep Building,
10, Parliament Street, New Delhi.

SUBJECT:—Import of————————————————from U.K. under UK/India Capital Investment Loan 1974.

Sir,

In connection with the import of————————————————from U.K. against the above UK Loan, we furnish the following particulars to enable you to issue us authorisation for opening a Letter of Credit through our bankers on the U.K. Bank designated by you:—

1. (a) Particulars of Import Licence:—

(i) Full No. & date

(ii) Value (Rs.)

(iii) Exchange rate as quoted in the Licence.

(iv) Date upto which valid.

(b) The Allocation No./Identification Suffix, as given in the import licence.

(c) No. of contracts placed under the import licence so far.

(d) The serial number of the contract to which this application relates.

2. Sterling value of licence

(calculated at £1 per Rs. 18·968 for licence issued upto 5-6-74 and thereafter at the rate specified in the import licence by the licensing authority).

3. Sterling value of the order placed for which authorisation is required specifying the name and address of the UK supplier/suppliers and the amount(s) of authorisations required separately against each supplier (copy of orders placed and UK Suppliers acceptance thereof to be attached). [Amount (in F.C.) of Indian Agent's Commission of any should also be specifically indicated].

4. Name of the Indian Bank which will open Letter of Credit.

5. Name of UK correspondent Bank on whom the Letter of Credit is to be established.

Yours faithfully,
Signature of the Licensee and full address

ANNEXURE IV

UNITED KINGDOM/INDIA CAPITAL INVESTMENT LOAN 1974

PAYMENT CERTIFICATE

Indian Import Licence No. Identification Suffix No.....

I hereby certify that :

(i) The payment referred to in the invoices listed below, which or copies of which accompany this payment certificate, fall due and are due to be made in respect of Contract No.————————————dated———————— between the the contractor named below and————————————(purchaser)————————

and are in accordance with the particulars of this contract notified in the contract certificate signed on behalf of the said contractor on———————

Contractor's Invoice No.	Date	Amount £	Short description of goods works and/or services

(ii) The amounts specified in paragraph (i) do not include any additional foreign content to that declared in paragraphs 6, 7, or 8 of the contract certificate.

(iii) I have the authority to sign this certificate on behalf of the contractor named below.

Signed.....
Position held
For and on behalf of.....
Name & address of
contractor.....
Date.....

NOTE.—For the purpose of this declaration the United Kingdom includes the Channel Islands and the Isle of Man.

ANNEXURE V

Form of Utilisation Report in respect of United Kingdom/India Capital Investment Loan 1974

(to be furnished separately in respect of each import licence) (Where there are more than one contract against an import licence, the information should be given in respect of each contract separately).

Identification suffix
(See Section I—para 2)

1. Name & address of the importer
2. Import Licence No. & date, and the value thereof.
3. Date and value of orders placed against the above import licence.
4. Where orders have not been placed for the full value of the import licence indicate the phasing of balance ordering.
5. Confirmation whether the contract documents have been/are being sent to the Controller of Aid Accounts & Audit, Deptt. of Economic Affairs, Ministry of Finance, New Delhi in accordance with the relevant stipulation in the licensing conditions. (No. & date of communication(s) quoted).
6. Details with value of letter(s) of credit opened in favour of the UK Supplier(s).

7. Phasing of Payment (in £s and Rs.)

A. *Actual payment made to UK Suppliers*

(i) April 73 to September 73
(ii) October 73 to March 74
(iii)
(iv)
(and so on)

B *Estimates of payments to be made to UK Suppliers*

(i) April 74 to September 74
(ii) October 74 to March 75
(iii) April 75 to September 75
(iv) October 75 to March 76
(and so on)

8. Indicate specifically the portion of the import licence not covered by the orders and thus surrendred.

Signature.....

ANNEXURE VI

Reports showing details of refunds received from Suppliers/Shippers/Insurers (towards settlements of claims for short landings, damages etc.) in respect of imports from the UK under UK/India Capital Investment loan 1974

(only for claims settled in £ Sterling)

1. Name of importing firm.
2. Particulars of UK Credit
3. No. and Date of import licence
4. Value of Import licence
5. Amount of refund received
6. Nature of refund (give brief details)
7. Reference to the relative documents under which payment was made initially to the US Suppliers (indicate name of Indian Bank and reference to their letter No. & date, forwarding the documents to the Ministry of Finance).
8. Whether or not refunds received are to be utilised for replacement of goods, if not confirm that amount has been actually received and encashed into rupees.
9. Remarks.

Signature of the authorised officer of the importing firm.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1974

विषय :—यू० के० /भारत पूंजी निवेश ऋण, 1974 के अन्तर्गत आयात लाइसेंसों के निर्गमन को शासित करने वाली शर्तें।

सं० 133—आई० टी० सी० (पी० एन०)/74.—यू० के० / भारत पूंजी निवेश ऋण 1974 के अन्तर्गत आयात लाइसेंसों के जारी किए जाने के सम्बन्ध में शासित करने वाली शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, वे सूचनार्थ अधिसूचित की जाती हैं।

परिशिष्ट

यू० के/भारत पूंजी निवेश ऋण, 1974 दिनांक 27-3-74 के लिए लाइसेंस शर्तें

1. सामान्य शर्तें :

आयात लाइसेंस का शीर्षक "यू० के०/भारत पूंजी निवेश ऋण, 1974" होगा। लाइसेंस संख्या और प्रत्ययों के रूप में "आर/के के" के साथ लाइसेंस कोड के अतिरिक्त, इसमें कंडिका 3 में दिए गए विवरणों के रुप में नियतन संख्या होनी चाहिए और ये नियतन नीचे के किसी एक सिग्मेंट से सम्बन्धित होंगे :—

'ए' सिग्मेंट—(50 लाख पौंड निजी क्षेत्र सिग्मेंट)

जहां लाइसेंस पूंजीगत माल समिति द्वारा प्रदान की गई निकासी के आधार पर निजी क्षेत्र एकक को जारी किया जाता है।

'बी' सिग्मेंट—(50 लाख पौंड सार्वजनिक क्षेत्र सिग्मेंट)

जहां वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग नई दिल्ली, द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र एककों या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के विभागीय प्रकमों के नाम में प्रदान किए गए विदेशी मुद्रा की निकासी प्राप्त करने के बाद प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुमोदन के आधार पर लाइसेंस जारी किया जाता है।

'सी' सिग्मेंट—(एन एस आई सी के लिए—शून्य)

'डी' सिग्मेंट (10 लाख पौंड आई एफ सी आई सिग्मेंट)

जहां आई एफ सी आई द्वारा प्रदान की गई विदेशी मुद्रा की निकासी के आधार पर विकास परियोजनाओं को आई एफ सी आई द्वारा वित्तयुक्त किया गया लाइसेंस जारी किया जाता है।

'ई' सिग्मेंट–(10 लाख पौंड आई सी आई सी आई सिग्मेंट)

जहां आई सी आई सी आई द्वारा प्रदान की गई विदेशी मुद्रा की निकासी के आधार पर विकास परियोजनाओं को आई सी आई सी आई द्वारा वित्तयुक्त किया गया लाइसेंस जारी किया जाता है ।

2. आयात लाइसेंस की पावती के 15 दिनों के भीतर ही आयातक को चाहिए कि वह आयात लाइसेंस की एक फोटोस्टेट प्रति आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई–2 अनुभाग) को भेजे । इसकी एक प्रति वित्त मंत्रालय सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रण, आर्थिक कार्य विभाग जीवन दीप बिल्डिंग, 10 पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भी भेजी जानी चाहिए ।

3. (क) **परिचय प्रत्यय** .—यू० के० /पूंजी निवेश ऋण, 1974 के अन्तर्गत प्रत्येक नियतन में परिचय प्रत्यय सी आई एल प्रतीक होगा जिसमें ऋण का संकेत होगा और उसमें एक पत्र लगा रहेगा जो ऋण के सिग्मेंट को प्रदर्शित करेगा (निजी क्षेत्र सिग्मेंट के लिए 'ए' सार्वजनिक क्षेत्र सिग्मेंट के लिए 'बी' आई एफ सी आई सिग्मेंट के लिए 'डी' और 'आई सी आई सी आई सिग्मेंट के लिए 'ई') जिस वर्ष में नियतन किया जाता है उसका संकेत करते हुए संख्या दी जाएगी : और उसमें नियतन संख्या होगी, उदाहरण के लिए ,

सी आई एल/ए/73/14 (जी ओ आई)

अर्थात ऋण/सिग्मेंट/वर्ष/नियतन की क्रम संख्या ।

(ख) यू० के० सरकार की पूर्व अनुमति के लिए गए नियतन के मामले में या आई एफ सी आई तथा आई सी आई सी आई के मामले में प्रतीक जी ओ आई परिचय प्रत्यय में नहीं रहेंगा ।

(ग) **एक नियतन–बहुविध लाईसेंस**.—चूंकि प्रदान किए गए नियतन के मद्दे एक से अधिक लाईसेंस हो सकता है, आयात लाईसेंस जारी करते समय लाईसेंस प्राधिकारी यह सुनिश्चय करेंगे कि नियतन से सम्बन्धित प्रत्येक में एक और परिचय चिन्ह होगा उदाहरण के लिए,

(1) सी आई एल/ए/ 73 (जी ओ आई)/ 1
अर्थात् ऋण /सिग्मेंट/वर्ष/नियतन की क्रम संख्या —लाईसेंस की क्रम संख्या :

(2) सी आई एल /ए /73/14 (जी ओ ई आई)/ 2.

(घ) **एक लाईसेंस बहुविधि संविदाएं**.—चूंकि एक आयात लाइसेंस के मद्दे एक से अधिक खरीद आदेश/संविदा हो सकती है, लाइसेंसधारी की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वह यह सुनिश्चय करें कि आयात लाइसेंस के अन्तर्गत प्रत्येक आदेश में एक और परिचय चिह्न (1), (2) आदि दिया जाता है, यानी

(1) प्रथम लाइसेंस के मद्दे : सी आई एल /ए /73/14 (जी ओ आई) /1 (1) अर्थात् ऋण सिग्मेंट/वर्ष/नियतन की क्रम संख्या /नियतन के मद्दे आयात लाइसेंस की क्रम संख्या (आयात लाइसेंस के मद्दे आदेश की संख्या) :

सी आई एल /ए/73/14 (जी ओ आई) /1(2) आदि आदि,

(2) द्वितीय लाइसेंस के मद्दे : इसी तरह, इस नियतन के मद्दे द्वितीय लाइसेंस के मद्दे आदेश के लिए :—

सी आई एल/ ए/73/14 (जी ओ आई)/2 (1)

सी आई एल /ए/73/14 (जी ओ आई)/2/(2) आदि आदि ।

टिप्पणी.—इस खंड में संकेतित परिचय लाइसेंस प्राधिकारी एवं लाइसेंसधारी को क्रियाविधि समझने के लिए केवल एक उदाहरण है। आयात लाइसेंस जारी करते समय उस पर लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा संकेतित किए जाने वाले विशेष व्यक्तिगत आबंटन के सम्बन्ध में वास्तविक परिचय प्रत्यय आर्थिक कार्य विभाग द्वारा संकेतित किए जाएंगे ।

4. **भुगतान की विधि** : साख पत्र की स्थापना कर सामान्य बैंकिंग सूत्रों के माध्यम से संभरकों को भुगतान की व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन नीचे के खण्ड–4 में दिए गए ब्यौरे के अनुसार इस प्रकार के आदेश दिए जाने के लिए एक विशेष प्राधिकरण सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली से प्राप्त कर लिया जाना चाहिए । भारतीय अभिकर्त्ता के किसी कमीशन के लिए भुगतान भारत स्थित अभिकर्त्ता को भारतीय रुपये में किया जाना चाहिए । लेकिन, इस प्रकार के भुगतान लाइसेंस मूल्य के अंश होंगे और ये, इसलिए, लाइसेंस के लिए लिये जाएंगे ।

5. **वैध अवधि.**—लाइसेंस 12 महीने की प्रारम्भिक वैध अवधि के लिए जारी किया जाएगा । पक्के आदेश लागत बीमा भाड़ा या लागत भाड़ा के आधार पर आयात लाइसेंस जारी होने के चार माह की अवधि के भीतर अवश्य दे दिया जाना चाहिए, । यदि आदेश वैध कारणों से प्रथम चार महीनों के भीतर नहीं दिए जा सकते लाइसेंस को लाइसेंस प्राधिकारी के पास चार माह की अवधि के भीतर या उसके तत्काल बाद जमा कर देना चाहिए । इस कारण का उल्लेख कर देना चाहिए कि आदेश देने में देर क्यों हुई और यह भी संकेत कर देना चाहिए कि अगला आदेश किस तारीख तक दिया जा सकता है और आदेश देने के लिए जैसी अवधि वृद्धि जरूरी हो, उसे भी बता देना चाहिए । जहां जरूरत होगी, इस प्रकार के आवेदन पत्रों पर मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात द्वारा वित्त मंत्रालय, (अर्थकार्य विभाग) के साथ परामर्श करके पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा ।

टिप्पणी.—केवल इसी प्रकार की संविदाएं जो 31–7–73 को या इसके बाद एवं 30–9–76 से पूर्व की गई है इस ऋण के अन्तर्गत वित्तदान के लिए योग्य है ।

6. **आदेश दिया जाना.**— इसे नोट कर लेना चाहिए कि जब तक 4 माह के भीतर आदेश देने का काम पूरा नहीं कर लिया गया हो या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत बढ़ाई गई अवधि और विशेष प्राधिकरण (उपर्युक्त कण्डिका 4 में संकेत किए गए के अनुसार) प्राप्त नहीं कर लिया जाता, तब तक विदेशी मुद्रा देने में प्राधिकृत व्यापारी साख-पत्र की स्थापना करने की स्वीकृति नहीं देंगे ।

7 **आदेश देने के आधार.**—आदेश नकद के आधार पर दिए जाने चाहिए । और सभी भुगतान लाइसेंस की समाप्ति के एक माह के भीतर पूरे किए जाने चाहिए । अकेले भुगतान की व्यवस्था माल के पोतलदान हो जाने पर अवश्य की जानी चाहिए किसी भी प्रकार की साख सुविधा नहीं दी जाएगी ।

2 **आदेश संविदाओं में शामिल की जाने वाली या अन्यथा रूप से ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें** : 1. जब पक्के आदेश/संविदा दी जा रही हो जो कि यू०के० संभरकों को ही दी जानी चाहिए (जिसकी अभिव्यक्ति में चेनल आफ आइलैंड तथा आइल मैन भी शमिल है), लाइसेंसधारी को उसमें दी गई एक व्यवस्था द्वारा यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि खरीदे गए माल पूर्णतया या प्रधानतया यू० के० में उत्पादित अथवा निर्मित हैं या होंगे। जब इस प्रकार के माल खरीदने से संबंधित सेवाओं की भी व्यवस्था की जाती है, तो उसमें निहित उपयुक्त व्यवस्था द्वारा इसी प्रकार यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ऐसे काम तथा सेवाएं साधारणतया यू०के० निवासी अथवा जो वहां व्यापार कर रहा है, उसके द्वारा प्रदान की जाती है अथवा की जाएंगी।

2. **यू०के० वस्तु का सुनिश्चय करने की आयातकों की जिम्मेदारी**—(1) यू० के०/भारत पूंजी निवेश ऋण 1974 के अन्तर्गत आयात लाइसेंस सामान्यतया केवल यू० के० में प्राप्त एवं उत्पादित अथवा विनिर्मित सामान और/अथवा माल के लिए वैध होंगे/विशेष मामलों में संविदा के जहाज पर निशुल्क मूल्य के 20 की सीमा तक के गैर-यू० के० तत्व को यू० के० /भारत पूंजीनिवेश ऋण 1974 के अन्तर्गत वित्तदान के लिए स्वीकार किया जा सकता है ।

(2) भारतीय आयातक को उस के स्वयं के हित के लिए परामर्श दिया जायगा कि वह पहले से ही यू० के० संभरकों से इस बात का सुनिश्चय कर ले कि क्या प्रस्तावित आयातों में किसी प्रकार का यू० के० तत्व है और यदि है, तो उसकी प्रतिशता क्या है। इससे विशेष रूप से जाने बिना किसी भी हालत में यू० के० संभरकों के साथ पक्के वायदे अथवा संविदा नहीं करनी चाहिए।

(3) जब इस पत्रकार की पूछ-ताछ करने पर यह पता लग जाता है कि आयात किए जाने वाले प्रस्तावित माल में गैर यू० के० तत्व है तो उसे वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, डब्ल्यू ई 2 अनुभाग नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को इस बात की पुष्टि के लिए अवश्य ही अवगत करवाना चाहिए कि क्या आयातक को भावी यू०के० संभरक के साथ अपने आदेश/संविदा पूर्ण करने पर आगे कार्य करना चाहिए या नहीं।

3. नीचे के खंड 3 और 5 में उल्लिखित प्रलेखन आवश्यकताओं को तथा नीचे के खंड 4 में निर्धारित भुगतान की प्रक्रिया को ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा संविदा में उचित रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए।

3. **संविदा की अधिसूचना तथा तत्संबंधी संशोधन.**

1. आदेश देने के 15 दिनों के भीतर लाइसेंसधारी को चाहिए कि संविदा अथवा संविदा अधिसूचना की तीन प्रतियां (संलग्न अनुबन्ध 1 के रूप में) संभरक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित संविदा प्रमाण-पत्र (संलग्न अनुबन्ध 2 अथवा 2 (बी) के रूप में, जो भी उपयुक्त हो) की दो प्रतियों के साथ सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग 10 पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजें।

2. वित्त मंत्रालय को उपर्युक्त प्रलेखों को भेजते समय लाइसेंसधारी द्वारा यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि दस्तावेजों में आयात लाइसेंस की संख्या तथा तारीख और ऋण का नाम भली-भांति

लिख दिया गया है । लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस के मद्दे प्रत्येक संविदा में परिचय प्रत्यय अवश्य दे देना चाहिए ।

उदाहरण के लिए.—यदि आयात लाइसेंस का परिचय प्रत्यय सी आई एल/ए/73/14 (जी ओ आई–1 है, तो इस लाइसेंस के अन्तर्गत पहली संविदा के लिए परिचय प्रत्यय सी आई एल/ए/73/14 (जी ओ आई)–1(1) होना चाहिए, इस लाइसेंस के मद्दे दूसरी संविदा के लिए सी आई एल/ए/73/14 (जी ओ आई)–1 (2) आदि होना चाहिए तथा जब लाइसेंसधारी वित्त मंत्रालय को संविदाएं अग्रसारित कर रहा हो तो तत्संबंधी अद्यतन लाइसेंस के अन्तर्गत दी गई संविदाओं की संख्या के तत्संबंधी ब्यौरे अवश्य दिए जाने चाहिए । इन ब्यौरे की शुद्धता के लिए आयातक ही एक मात्र रूप से जिम्मेदार होगा ।

3. किसी समय संविदा में संशोधन किया जाता है या संविदा प्रमाण–पत्र में उल्लिखित धनराशि से ज्यादा धनराशि के लिए उसके अन्तर्गत यदि कोई जिम्मेदारी निहित की जाती है, तो लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह तत्संबंधी अनुपूरक या संशोधित प्रलेखों को संविदा के लिए संशोधित प्रतियों को तथा संशोधित 'संविदा–प्राण–पत्र' को वित्त मंत्रालय को भेज दे ताकि वे इसको सूचना यू०के० सरकार को दे सकें ।

4. किसी मामले में, यू० के० संभरक के भारतीय अभिकर्त्ता के साथ संविदा की जाती है, तो उस यू०के० संभरक के नाम का संकेत होना चाहिए जिसको संविदा के उस स्टर्लिंग अंश के लिए भुगतान किया जाना है जो केवल इस ऋण के अन्तर्गत भुगतान के योग्य होगा । ऊपर निर्धारित किए गए के अनुसार इस प्रकार की प्रतियों को (या उन संविदाओं की प्रतियां जो यू०के० संभरकों के साथ भारतीय अभिकर्त्ताओं द्वारा की गई हैं, यदि इस प्रकार की पृथक संविदाएं हैं) भेज दिया जाना चाहिए ।

4. यू० के० संभरकों को भुगतान साख पत्र की प्रक्रिया :

1. लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह यू०के० संभरकों के नाम में यू० के० से सम्बद्ध बैंकों में से किसी भी एक बैंक में भारत में किसी मुद्रा विनिमय करने वाले बैंक में साख-पत्र खोलने के लिए प्राधिकरण पत्र हेतु सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक (आर्थिक सहायता लेखा शाखा), अर्थ-कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, जीवन दीप बिल्डिंग, 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को आवेदन करे ।

2. (1) प्राधिकरण–पत्र के लिए आवेदन अनुबन्ध 3 में दिए गए रूप में किया जाना चाहिए और उसके साथ पक्के आदेश की तथा यू०के० संभरक द्वारा पूर्ण किए गए संविदा प्रमाण पत्र की एक प्रति होनी चाहिए । पत्र अनुबन्ध 2 या अनुबन्ध 2 (बी) (जो भी उचित हो) में निर्धारित किए प्रपत्र में होना चाहिए और आयात लाइसेंस अथवा उसकी फोटो प्रति विनिमय दर के सत्यापन के लिए दी जानी चाहिए ।

(2) यदि पहले से ही जारी किए गए प्राधिकरण पत्र को आयात लाइसेंस के मूल्य में वृद्धि हो जाने के कारण संशोधित किया जाना है, तो आयातक के ऐसे आवेदन पत्र के साथ आयात लाइसेंस अथवा उसकी फोटो प्रति दी जानी चाहिए जिसमें आयात लाइसेंस के मूल्य में बढ़ाई गई धनराशि के लिए लागू होने वाली विनिमय की दर को दर्शाया जाए ।

3. यदि आवेदन–पत्र सही पाया जाता है तो वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग आयातक और सम्बद्ध भारतीय मुद्रा विनिमय प्राधिकृत बैंक को अपेक्षित धनराशि के लिए प्राधिकरण पत्र जारी

करेगा । वित्त मंत्रालय के प्राधिकरण पत्र में भी खरीद आदेश अर्थात सी आई एल/ए/73/14 (जी ओ आई)-1 (1) के परिचय प्रत्यय आदि का उल्लेख होगा । परिचय प्रत्यय के स्थापित किए जाने वाले साख-पत्र में तथा साख-पत्र के अन्तर्गत भेजे जाने वाले सभी प्रलेखों में भी संकेत होना चाहिए । वित्त-मंत्रालय सम्बद्ध यू०के० बैंक को भी परामर्श देगा । लेकिन, यू०के० बैंक को दिया गया परामर्श सम्बद्ध भारतीय मुद्रा विनिमय बैंक को उनके प्राधिकरण की प्रति के साथ भेजा जायगा उन्हें साख-पत्र खोलते समय यू० के० बैंक को संप्रेषित करना चाहिए ।

4. प्राधिकरण (वित्त मंत्रालय को अवगत कराते हुए) के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर साख पत्र खोल दिया जाना चाहिए ऐसा नहीं करने की स्थिति में प्राधिकरण पत्र समाप्त हो जाएगा । साख पत्र में उन शर्तों का उल्लेख होना चाहिए जिसके अधीन लाईसेंस दिया गया है नीचे के खंड 5 में उल्लिखित सभी प्रलेखों के प्रस्तुतीकरण के बाद संभरकों को भुगतान के लिए व्यवस्था होनी चाहिए । भुगतान के बाद प्रलेखों के प्रेषण करने से संबंधित अनुदेशों को पूरी तरह समाविष्ट करना चाहिए और इसे शर्त के अधीन खोला जाना चाहिए कि यू० के० में सम्बद्ध बैंक लाभ प्राप्त कर्त्ताओं को प्रारंभिक रूप में उनकी अपनी निधि से भुगतान करने के बाद उसकी प्रतिपूर्ति भारत के उस बैंक से प्राप्त करेगा जिसमें साख-पत्र की स्थापना की गई थी । साख पत्र खोलने के संबंध में भारतीय मुद्रा विनिमय बैंक के अनुदेशों को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्राधिकरण के पूर्ण रूपेण अनुरूप होना चाहिए । किसी भी प्रकार का अन्तर नहीं होना चाहिए ।

5. साख-पत्र में स्पष्टरूप से ऋण शीर्षक, नियतन संख्या और अन्य विवरण जैसे दिए गए नियतन के अन्तर्गत संविदा लाइसेंस की क्रम संख्या और साख-पत्र में यथा संकेतित आयात-लाइसेंस आदि से संबंधित संविदा की क्रम संख्या को चिह्नित किया जाना चाहिए ।

5. प्रलेखन :

1. यह देखने की जिम्मेदारी आयातक की है कि यू० के० संभरक भेजे गए माल के लिए भुगतान की मांग करते समय यू० के० बैंक के लिए नीचे उल्लिखित प्रलेखों को पूरा करता है और प्रस्तुत करता है :—

(1) चार फोटो प्रतियां या अन्य किसी विधि से तैयार की गई प्रतियों के साथ मूल बीजक । (बीजक में आयातक का नाम और पता, संभरित की गई प्रत्येक मद की मात्रा और विस्तृत विवरण, सभी व्यापार छूटों) को प्रतिबिम्बित करते हुए प्रत्येक मद के लिए विक्रय कीमत, वितरण का आधार (लागत भाड़ा या लागत बीमा भाड़ा) और किसी प्रकार की आनुषंगिक सेवाएं—जिसमें वितरण या नौवहन या परिवहन बीमा सेवाएं शामिल हैं उसकी स्टालंग लागत को दिखाना चाहिए) ।

(2) महासागर या चार्टर लदान-पत्र की एक प्रति (या फोटोस्टेट) या वायुमार्ग बिल या डाक पारसल रसीद (लदान पत्र वाहक के खर्चों का विवरण निर्दिष्ट करेगा चाहे इन खर्चों का भुगतान किसी भी मुद्रा में किया गया हो) ।

(3) अनुबन्ध 5 में दिए गए प्रपत्र में भुगतान प्रमाण-पत्र की चार प्रतियां [ऐसी संविदाओं के संबंध में इनकी आवश्यकता नहीं जिनके लिए अनुबन्ध 2 (बी) में दिए गए प्रपत्र में एक संविदा प्रमाण-पत्र (रासायनिक)की पूर्ति की गई है] । इस उद्देश्य के लिए, संभरक द्वारा भुगतान प्राप्त करते समय भरने के लिए, निर्धारित प्रपत्र में भुगतान प्रमाण पत्र के पांच खाली प्रपत्र साख-पत्र के साथ संलग्न करने चाहिए ।

(4) अनुबन्ध 2 या अनुबन्ध 2(बी) में निर्धारित संविदा प्रमाण–पत्र की तीन प्रतियां ।

प्रत्येक प्रलेख में ऋण शीर्षक, परिचय प्रत्यय, आयात लाइसेंस के ब्यौरे तथा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए साख प्राधिकरण-पत्र के विवरण को अवश्य प्रदर्शित करना चाहिए ।

2, जब साख पत्र खोला जा रहा हो, तो भारत के प्राधिकृत विदेशी मुद्रा विनियम बैंक आयातक की ओर से इस बात का सुनिश्चिय करने के लिए प्रलेखन की उपर्युक्त जरूरतों को नोट कर लिया गया है तथा यू० के० संभरकों द्वारा इसका अनुपालन किया गया है, साख पत्र में आवश्यक शर्तों को शामिल करने पर ध्यान देगा ।

3. संभरक को भुगतान किए जाने के बाद यू० के० का संबंधित बैंक भारतीय सम्बद्ध बैंक को प्रलेखों का मूल परक्राम्य सेट को वायु मार्ग से भेजेगा । भारतीय बैंक बैंक प्रभारों के साथ इसके द्वारा यू० के० संभरकों को किए गए भुगतान को परेषण द्वारा यू० के० बैंक को प्रतिपूर्ति करेगा । भारतीय बैंक द्वारा आयातकों से इस प्रकार की विदेशी मुद्रा परेषणों की तत्संबंधी समतुल्य रुपये में वसूली दोनों के बीच हुई सहमति मे तय की गई व्यवस्थाओं के अनुसार की जायगी । यू० के० बैंक भी पूर्ण किए गए भुगतान प्रमाण-पत्र की एक अपरक्राम्य प्रति सहायता लेखा एवं लेख परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, अर्थ कार्य विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, 10 पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजेगा ।

6. यू० के० ऋण के अन्तर्गत प्रति पूर्ती प्राप्ति के लिए भारत सरकार को सक्षम बनाने में भारतीय बैंक की जिम्मेदारी :

बैंक प्रभारों के साथ इसके द्वारा यू०के० संभरकों को स्टर्लिंग भुगतानों के यू० के० बैंक में प्रतिपूर्ति करने के बाद भारतीय बैंक को चाहिए कि वह 10 दिनों के भीतर आवश्यक प्रलेखों को सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजे ताकि भारत सरकार यू० के० ऋण के अन्तर्गत आवश्यक प्रतिपूर्ति प्राप्त करने में सक्षम हो सके । भेजे जाने वाले प्रलेख ये हैं :—

1. यू० के० संभरक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनुबन्ध-2 या अनुबन्ध–2 (बी) (जैसा उचित हो) के रूप में **संविदा-प्रमाण-पत्र** तथा संबंधित साख पत्र की एक प्रति ।

2. यू० के० के संभरक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनुबन्ध-1 में दिए गए के अनुसार **भुगतान-प्रमाण-पत्र** ।

3, खंड 5 में उल्लेख किए गए के अनुसार बीजक तथा लदान बिल/जहां संविदा के अन्तर्गत यू० के० संभरक को एक से अधिक भुगतान किया जाना है, संविदा प्रमाण-पत्र तथा, साख पत्र की एक प्रति भेजने की आवश्यकता केवल प्रथम भुगतान के लिए है तथा आगामी भुगतानों में केवल भुगतान प्रमाणपत्र भेजने की आवश्यकता है और बीजकों को वित्त मंत्रालय को भेजने की आवश्यकता है, परिचय प्रत्यय को संबंधित संविदा प्रमाण पत्र तथा साख पत्र में उद्धृत किया जाना चाहिए ।

7. **आयात लाईसेंस के उपयोग किए जाने के संबंध में रिपोर्ट :**

अनुबन्ध 5 में यथा संलग्न अनुबन्ध में, लाइसेंस के उपयोग किए जाने की स्थितियों को प्रदर्शित करते हुये एक रिपोर्ट प्रत्येक माह की 7 तारीख को या इससे पहले इनको भेजनी चाहिए:—

(1) सहायता लेखा नियंत्रक, (सहायता लेखा शाखा), वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली ।

(2) अनुभाग अधिकारी-डब्ल्यू ई-2, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नार्थ ब्लाक, सेक्रेटेरिएट, नई दिल्ली ।

जहां पर विदेशी मुद्रा की रिहाई आई एफ सी आई और आई सी आई सी आई द्वारा कर दी गई हो तो रिपोर्ट तत्संबंधी सम्बद्ध संगठनों को भेजी जानी चाहिये ।

8. **विविध**

1. **विशेष शर्तों के अधिसूचित किये जाने वाले संभरक.**—आयात लाइसेंस में ऐसी कोई विशेष शर्त हो जो कि संभरक पर सौदे के पालन करने में प्रभाव डाले, लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह संभरक को इससे अवगत करा दे ।

2. **यू० के० संभरकों से धन वापसी.**—यदि संभरक, पोत वणिक तथा बीमाकर्त्ता से लाइसेंसधारी द्वारा किसी प्रकार की धन वापसी प्राप्त होती है और जैसे ही ये धनराशि प्राप्त की जाती है, तो प्राप्त धनराशि का पूरा विवरण प्रदर्शित करते हुए तत्संबंधी अन्य विवरणों के साथ ऊपर के खंड-6 में दिए गए पते पर वित्त मंत्रालय को भेजना चाहिए ।

3. **विवाद.**—यह जान लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच या किसी प्रकार की जिम्मेदारी जो कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच हो, यदि उसमें किसी प्रकार का विवाद उठ खड़ा होता है तो भारत सरकार किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेगी ।

4. **भविष्य के लिए अनुदेश.**—आयात लाइसेंस या इससे संबंधित किसी एक या सभी मामलों पर तथा ऋण करार के अन्तर्गत—सभी प्रकार के आभारों को पूरा करने के संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों, आदेशों या अनुदेशों का दुरुस्त पालन करेगा ।

5. **उल्लंघन या अतिक्रमण.**—उपर्युक्त कंडिका में दी गई शर्तों के उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जावेगी ।

9. **शीर्षकों के अनुसार अनुबन्धों की सूची**

अनुबन्ध 1	संविदा की अधिसूचना
अनुबन्ध 2	संविदा प्रमाण-पत्र
अनुबन्ध 2(बी)	संविदा प्रमाण-पत्र (सामयिक)
अनुबन्ध 3	साख पत्र प्राधिकरण के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप
अनुबन्ध 4	भुगतान प्रमाण-पत्र
अनुबन्ध 5	आयात लाइसेंस के लिए आदेश देने तथा उसका उपयोग किए जाने के संबंध में रिपोर्ट ।
अनुबन्ध 6	धन वापसी की प्राप्ति के संबंध में रिपोर्ट

अनुबन्ध 1

यू० के०/भारत पूंजी निवेश ऋण, 1974

सेवा में

संविदा की अधिसूचना

काउन एजेन्ट

परिचय प्रत्यय सं०————————

संविदा की अधिसूचना संख्या————————

संविदा के निम्नलिखित ब्यौरे हैं जिसके अन्तर्गत यह प्रस्तावित किया जाता है कि उपर्युक्त ऋण की शर्तों के अनुसार भुगतान किया जायगा :—

1. यू० के० संविदाकर्ता का नाम तथा पता
2. संविदा का दिनांक ।
3. खरीददार का नाम
4. माल का संक्षिप्त ब्यौरा तथा/अथवा कार्य अथवा सेवाएं ।
5. संविदा का मूल्य ।
6. भुगतान की शर्तें

आयात करने वाली फर्म के प्राधिकृत अधिकारी,
के हस्ताक्षर————————

अनुबन्ध 2

यू० के०/भारत पूंजी निवेश ऋण, 1974

संविदा प्रमाण पत्र

संविदा का ब्यौरा

आयात लाइसेंस की संख्या————————परिचय प्रत्यय संख्या————————

1. संविदा की तिथि————————संविदा संख्या————————

3. खरीददार को दिए जाने वाले माल अथवा सेवाओं का विवरण————————

यदि कोई मदों की पूर्ति की जानी है, तो इस प्रमाण पत्र के साथ उसकी एक विस्तृत सूची लगा देनी चाहिए ।

4. क्रेता द्वारा देय कुल संविदा मूल्य (लागत बीमा भाड़ा, लागत तथा भाड़ा या जहाज पर निःशुल्क का उल्लेख कीजिये) ।

पौंड ————————

यदि माल का सम्भरण किया जाना है, तो निम्नलिखित खंडों का अनुपालन करना अनिवार्य है (यदि संविदाकर्ता केवल निर्यातक अभिकर्ता है, तो मांगी हुई सूचना निर्माण कर्ता से प्राप्त करनी चाहिए) ।

5. खरीददार को संभरण किए जाने वाले माल का विवरण	कीमत पौंड	यू० के०/टेरिफ/ट्रेड कोड सं०

6. जो माल यू० के० मूल का नहीं है, परन्तु संविदाकार द्वारा सीधे बाहर से खरीदा गया है तो जहाज पर निःशुल्क मूल्य का अनुमानित प्रतिशत जैसे आयातित कच्चे माल या निर्माण किए गए संघटकों का प्रतिशत :—

(क) प्रतिशत जहाज पर निःशुल्क मूल्य———————————

(ख) मदों का विवरण तथा संक्षिप्त विशिष्टिकरण ———————————

7. यदि विदेश मूल के किसी कच्चे माल या संघटकों का उपयोग किया गया हो, जैसे तांबा, अदह, कपास, लकड़ी लुगदी आदि, परन्तु संविदाकर्ता द्वारा इस संविदा के लिए इनकी खरीद यू० के० में की गई है तो उनका उल्लेख करें :—

(क) प्रतिशत जहाज पर निःशुल्क मूल्य———————————

(ख) मदों का विवरण और संक्षिप्त विशिष्टिकरण———————————

यदि सेवाएं प्रदान की जानी हैं, तो निम्नलिखित खंडों की भी पूर्ति की जानी चाहिए ।

8. नीचे लिखे द्वारा किए गए किसी काम या खरीददार के देश में निष्पादन सेवाओं का अनुमानित मूल्य बताएं :—

(क) आप की फर्म (स्थल, अभियन्ता के खर्चे आदि)———————————

(ख) स्थानीय संविदाकर्ता ———————————

9. उपर्युक्त कंडिका 6, 7 या 8 के सम्बन्ध में जैसा आवश्यक हो, टिप्पणी दें।

10. मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि नीचे लिखे संविदाकर्ता द्वारा मैं यू० के० में नियोजित किया गया हूं और इस प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकार मुझे प्राप्त है । मैं एतद्द्वारा यह जिम्मेदारी लेता हूं कि उपर्युक्त कंडिका 6, 7, 8 और 9 में विशिष्टकृत को छोड़ कर किसी और माल या सेवाओं का जो यू० के० मूल की नहीं है, संविदा के निष्पादन में संभरण नहीं किया गया है ।

हस्ताक्षरित : ———————————

पद जिस पर वह है———————————

संविदाकर्ता का नाम और पता———————————

दिनांक———————————

टिप्पणी:—इस घोषणा के लिये यू० के०, दि चैनल आइलैंड और आइल्ज आफ मैन को शामिल करता है ।

अनुबंध 2 (बी)

य० के०/भारत पूंजी निवेश ऋण, 1974

1. संविदा की तिथि————————संविदा संख्या————————आयात लाइसेंस सं० ————————————दिनांक————————————————।

2. खरीददार को संभरण किए जाने वाले उत्पाद (दों) का विवरण	पौंड मल्य	यू० के० दर सूची वर्गीकरण संख्या	क्या उत्पाद यू० के० मूल्य का है
(टिप्पणी ए)		(टिप्पणी बी)	(टिप्पणी सी देखिये, हां या नहीं लिखिए)

3. खरीददार द्वारा भुगतान की जाने योग्य कुल/अनुमानित/संविदा कीमत स्टर्लिन पौंड में ————————————————————

4. (घोषणा) में एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि नीचे लिखे संविदाकर्ता द्वारा मैं य० के० में नियोजित किया गया हूं और वैद्य प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकार मुझे प्राप्त है और उपर्युक्त सूचना सही है ।

हस्ताक्षरित————————————————————

पद किस पर है————————————————————

संविदाकर्ता का नाम और पता————————————————

दिनांक . . .

टिप्पणी

ए, इस प्रपत्र का प्रयोग केवल रसायन तथा संबंधित उत्पादों के लिए किया जाना है जिनमें अधिकतर को यू० के० दर सूची के अध्याय 15, 25, 28—35 तथा 37—40 के उपर्युक्त उप- शीर्षकों द्वारा सम्मिलित किया गया है ।

बी० देखिए :—

(1) एच० एम० कस्टम तथा एक्साइज टेरिफ एच० एम० एस० ओ० ।

(2) ब्रेसल्स नामावली एच० एम० एस० ओ० में रसायनों का वर्गीकरण सी० (1) यदि उत्पाद पूर्णतया यू० के० देशी माल से तैयार किया गया है तो वह उत्पाद यू० के० मूल का समझा जाता है अथवा उपर्युक्त ई० एफ० टी० ए० विशेषक विधि के अनुसार पूर्णतया अथवा अंशतः आयातित माल प्रयोग किया जाता है ।

(2) एच० एम० एस० ओ० निर्यातकों के प्रयोग के लिए ई० एफ० टी० ए० विशेषक विधि, ई० एफ० टी० ए० सार-संग्रह के सूचक 1 में बताई गई है ।

(3) प्रस्तुत घोषणा के लिए इस पर बल दिया जाता है कि निकासी प्रतिशत निकास लागू नहीं होता है ।

(4) उपर्युक्त सूचक में जहां कहां शब्द 'क्षेत्र मूल' आते हैं उनका तात्पर्य केवल यू० के० मूल से है ।

(5) प्रस्तुत घोषणा के लिए 'मूल माल की सूची' (ए० एफ० टी० ए० सार-संग्रह का सूचक—3) लागू नहीं होता है ।

(6) यदि विषयाधीन माल के लिए विशेषक विधि सूचीबद्ध नहीं है तो आउन ऐजेन्ट, सी० एस० 4 विभाग 4 मिल एम डब्ल्यू से सलाह ले लेनी चाहिए ।

डी० इस घोषणा के लिए यू० के० चेनल आइलैंड् तथा आइलैंड्स आफ मैन को शामिल करता है ।

अनुबन्ध 3

(साख पत्र प्राधिकरण के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र)

सेवा में

सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक,
(आर्थिक सहायता लेखा शाखा),
वित्त मंत्रालय ,
(अर्थ कार्य विभाग)
जीवन दीपबिल्डिंग, 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली ।

विषय.—यू० के० भारत पूंजी निवेश ऋण, 1974, के अन्तर्गत यू० के० से———का आयात

महोदय,

उपर्युक्त यू० के० ऋण के लिये यू० के० से———आयात करने के संबंध में हम निम्नलिखित विवरण भेजते हैं जिस से आप हमें हमारे बैंकरों के माध्यम से आपके द्वारा मनोनीत यू० के० बैंक में साख पत्र खोलने के लिये प्राधिकरण जारी करने में समर्थ हो सकें :—

1. (क) आयात लाइसेंस का विवरण:—
 (1) पूरी सं० एवं दिनांक
 (2) मूल्य (रुपए)
 (3) लाइसेंस में यथा उल्लिखित विनिमय दर
 (4) तिथि जिस तक वैध है ।
 (ख) लाइसेंस में दिए गए के अनुसार आबंटन संख्या/परिचय प्रत्यय
 (ग) लाइसेंस के अन्तर्गत की गई संविदाओं की संख्या————————
 (घ) उस संविदा की क्रम संख्या जिससे यह आवेदन पत्र संबंधित है ।

2. लाइसेंस का स्टर्लिंग में मूल्य

(यह लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा आयात लाइसेंस में विशिष्टिकृत की गई दर पर 5—6—71 तक और उसके बाद जारी किए गए लाइसेंस के लिये प्रति पौंड 18.963 रु० की दर से परिकलित किया गया ।

3. यू० के संभरक/संभरकों का नाम और पता बताते हुये दिये गये आदेश का स्टर्लिंग मूल्य, जिसके लिये प्राधिकरण की जरूरत है और प्रत्येक संभरक के लिये (दिये गये आदेश और उसके लिये यू० के० संभरक की स्वीकृति की प्रति संलग्न की जानी है) अलग अलग अपेक्षित प्राधिकरण की धनराशी/राशियां। भारतीय अभिकर्ता के कमीशन की यदि कोई धनराशि (एफ० सी० में) हो तो उसका विशेष रूप से संकेत किया जाना चाहिये)।

4. उस भारतीय बैंक का नाम जो साख पत्र खोलेगा।

5. संबद्ध यू० के० बैंक का नाम जिस में साख पत्र संस्थापित किया जाना है।

भवदीय,

(लाइसेंस धारी के हस्ताक्षर तथा पूरा पता)।

अनुबन्ध 4

यू० के०/भारत पूंजी निवेश ऋण, 1974

भुगतान प्रमाण-पत्र

भारतीय आयात लाइसेंस स० —

परिचय प्रत्यय संख्या————————

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि :

1. नीचे सूचीबध्द किये गये बीजक में उल्लिखित भुगतान वह या उसकी प्रतियां इस भुगतान प्रमाण-पत्र के साथ लगी है, बाकी है या नीचे लिखे गये संविदा कर्ता और ————खरीदार——

————————के बीच संविदा संख्या————तारीख ————— के संबंध में बाकी पूरे किये जाने वाले हैं, और संविदा प्रमाण पत्र के अन्तर्गत अधिसूचित इस संविदा के विवरण के अनुसार है जो तारीख————————को उक्त संविदाकर्ता के नाम पर हस्ताक्षरित है।

संविदा कर्ता के बीजक की संख्या	तारिख धन राशि पो०	माल कार्य और/या सेवाओं का संक्षिप्त विवरण
1	2	3

2. कडिका 1 में जो धन राशियां विशिष्टकृत की गई है वे संविदा प्रमाण पत्र की कंडिका 6,7 अथवा 8 में बताई गई के लिये किसी अतिरिक्त विदेशी वस्तु को शामिल नहीं करती है।

3. नीचे लिखे संविदाकर्ता के नाम पर इस प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने का मुझे अधिकार है।

हस्ताक्षर————————————

पद जिस पर वह है————————————

————————के लिये और नाम पर संविदाकर्ता

का नाम और पता————————————

————————————

तारीख————————————

टिप्पणी.—इस घोषणा के लिये यू० के०, चैनल आफ आइलेंड और आइल्ज आफ मैन को शामिल करता है।

अनुबंध 5

यू० के०/भारत पूंजी निवेश ऋण, 1974 के सम्बन्ध में उपयोग किये जाने वाली रिपोर्ट का प्रपत्र
(प्रत्येक आयात लाइसेंस के सम्बन्ध में अलग से भेजा जाना है)

(जहां एक आयात लाइसेंस के मद्दे एक से अधिक संविदाएं हो तो प्रत्येक संविदा के लिये अलग अलग जानकारी भेजी जानी चाहिये)।

परिचय प्रत्यय———————
(खंड 1 पैरा 2 देखें)

1. आयातक का नाम और पता
2. आयात लाइसेंसों की संख्या, दिनांक और उसका मूल्य
3. उपर्युक्त आयात लाइसेंस के लिये किये गये आदेश का दिनांक और मूल्य
4. जहां आयात लाइसेंस के पूरे मूल्य के लिये आदेश नहीं दिये गये है वहां शेष आदेश देने की अवस्था का संकेत करें।
5. क्या लाइसेंस शर्तों में सम्बद्ध अनुबंध के अनुसार संविदा दस्तावेज सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक अर्थ कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली को भेज दिये गये हैं / भेजे जा रहे हैं, इसका पुष्टिकरण। [कोट किये गये पत्र (पत्रों की संख्या और दिनांक)]
6. यू० के० संभरक (संभरकों) के हक में खोले गये साख पत्र (पत्रों के मूल्य) के ब्यौरे।
7. भुगतान की अवस्था पौंड तथा रु० में ———————————

(ए) यू० के० संभरकों को किए गए वास्तविक भुगतान

1. अप्रैल 1972 से सितम्बर 1973 तक
2. अक्तूबर 1973 से मार्च 1974 तक
3.
4. (और इसी तरह आगे)।

(बी) यू० के० संभरकों को किये जाने वाली भुगतानों का प्राक्कलन

1. अप्रैल 1974 से सितम्बर 1974 तक
2. अक्तूबर 1974 से मार्च 1975 तक

3. अप्रैल 1975 से सितम्बर 1975 तक

4. अक्तूबर 1975 से मार्च 1976 तक (और इसी तरह आगे)

8. आयात लाइसेंस में ऐसे भाग का संकेत करें जो आदेश में शामिल नहीं किया गया और उसे अभ्यर्पण कर दिया गया ।

हस्ताक्षर

अनुबंध–6

यू० के० / भारत निवेश ऋण 1974 के अन्तर्गत यू० के० से आयात के संबंध में संभरक/पोत-वर्णिक/बीमा कर्ता (द्वारा 'अल्पावतरणक्षति इत्यादी के लिये दावे का निपटारा करने के लिये) प्राप्त धन वापसियों के विस्तृत ब्यौरे को दर्शाते हुये एक रिपोर्ट ।

(पौंड स्टर्लिंग में केवल निपटाये गये दावों के लिये)
(निपटाये गये दावों के लिए)

1. आयात करने वाली फर्म का नाम

2. यू० के० साख के ब्यौरे ।

3. आयात लाइसेंस की सं० और दिनांक ।

4. आयात लाइसेंस का मूल्य ।

5. प्राप्त धनवापसी की राशि ।

6. धनवापसी किस प्रकार की थी (संक्षिप्त ब्यौरा दें)

7. सम्बद्ध दस्तावेज जिसके अन्तर्गत यू० के० संभरक को प्रारम्भिक भुगतान किये गये थे उनका संदर्भ (वित्त मंत्रालय को दस्तावेज प्रेषित करते हुए भारतीय बैंक की पत्र संख्या और दिनांक के संदर्भ का संकेत करें) ।

8. क्या प्राप्त की गई धनवापसियां माल के अदला-बदली के लिये प्रयोग की जानी है, या नहीं यदि नहीं तो पुष्टि करें कि राशि वास्तव में प्राप्त कर ली गई है और उसे रुपये में भुना लिया गया है ।

9. टिप्पणी ।

आयात करने वाली फर्म के प्राधिकृत अधिकारी के
हस्ताक्षर

बी०डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974